

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]
 भारत सरकार
 वित्त मंत्रालय
 राजस्व विभाग
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
 राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 16/2019-सीमा शुल्क (गै.टै./सीए/राआनि)

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2019

का.आ. (ई) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा के अनुच्छेद 152 (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.) संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015- सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में प्रधान महानिदेशक, राजस्व आसूचना निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (2) में उल्लेखित नोटिसियों के संबंध में उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लेखित अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद द्वारा उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (5) में उल्लेखित अधिकारियों को समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं

तालिका

क्र. सं.	नोटिसियों का नाम एवं पता	कारण बताओ नोटिस संख्या एवं दिनांक	न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम	नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मै राजकल्प मुद्रणालय प्रा. लि., शिल्पग्राम-II के साथ, ऑफ एस पी रिंग रोड, करनवाती आइ हॉस्पिटल-ओगनज, दँताली इंडस्ट्रियल इस्टेट रोड, लपकमान, अहमदाबाद-380060 और 7 अन्य.	फा. सं. DRI/AZU/GI-02/Enq-20/2018 दिनांक 27.02.2019.	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क, कस्टम हाउस, नवरंगपुरा, अहमदाबाद. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-II), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क, कस्टम हाउस, नवरंगपुरा, अहमदाबाद.
2.	मै प्रसन्न मशीनरी इंपोर्टर्स, 4/217-4, साउथ स्ट्रीट, एसएसए कम्पाउण्ड, पुथियामपुथुर, तुतिकोरिन, तमिलनाडु और श्री एन. जेगादीप, पुत्र श्री एम एस एम नवनीथन, पार्टनर, मै प्रसन्न मशीनरी इंपोर्टर्स, 4/217-4, साउथ स्ट्रीट, एसएसए कम्पाउण्ड, पुथियामपुथुर, तुतिकोरिन, तमिलनाडु	फा. सं. DRI/DZU/JRU/19/Int-7/2017 Pt. I दिनांक 07/11.03.2019.	आयुक्त सीमाशुल्क (चेन्नई-II), कस्टम हाउस, चेन्नई. संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (इम्पोर्ट-I), मुंबई जोन-I, न्यू कस्टम हाउस, बललार्ड इस्टेट, मुंबई.	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क (चेन्नई-II), कस्टम हाउस, चेन्नई. (तालिका के क्रम सं. 2 और 3).
3.	मै प्रसन्न मशीनरी इंपोर्टर्स, 4/217-4, साउथ स्ट्रीट, एसएसए कम्पाउण्ड,	फा. सं. DRI/DZU/JRU/19/Int-7/2017 Pt. I	आयुक्त सीमाशुल्क (चेन्नई-II), कस्टम हाउस, चेन्नई.	

	पुथियामपुथुर, तुतिकोरिन, तमिलनाडु और 3 अन्य.	दिनांक 01.08.2018.	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (इम्पोर्ट-I), मुंबई जोन-I, न्यू कस्टम हाउस, बललार्ड इस्टेट, मुंबई.	
4.	मै पुसकर ट्रेडकोम प्रा. लिं., फ्लैट सं. 2, 2 ^ग तल, 12/A, रव्डीन स्ट्रीट, कोलकाता-700017 और 5 अन्य.	फा. सं. DRI/KZU/CF/ Enq- 162 (Int-37)/2018 दिनांक 22.02.2019.	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (पोर्ट), कस्टम हाउस, कोलकाता संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (एयरपोर्ट और प्रशासन), कस्टम हाउस, कोलकाता.	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (पोर्ट), कस्टम हाउस, कोलकाता

[फा. सं. DRI/HQ-CI/50D/CAA-13/2019-CI]

(सुचेता श्रीजेश)
अपर निदेशक

प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित

1. तालिका के स्तंभ (5) में वर्णित समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को मामले के न्याय निर्णयन हेतू।
2. तालिका के स्तंभ (4) में वर्णित न्यायनिर्णयन प्राधिकारी।
3. प्रधान/ अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय-अहमदाबाद, दिल्ली और कोलकाता को इस निवेदन के साथ कि वे उनके ज़ोनल यूनिट से संबन्धित कारण बताओ नोटिसो के नोटिसियों को समान न्याय निर्णयनन अधिकारी की नियुक्ति के बारे में सूचित करें। यह भी निवेदन है कि वे केस फ़ाइल, कारण बताओ नोटिस, भरोसा किए गए दस्तावेज़ो (Relied Upon Documents) और कारण बताओ नोटिस की अभिस्वीकृति (acknowledgement) को नियुक्त समान न्याय निर्णयन अधिकारी को भेज दे